मध्यप्रदेश शासन की एक अभिनव योजना

मार्गदर्शिका

उच्च शिक्षा ऋण गारन्टी योजना

(दिनांक 31–10–2009 से प्रभावशील)

संपर्कसूत्रः–
आयुक्त / संचालक
संचालनालय संस्थागत वित, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, विन्ध्याचल भवन, भोपाल 462 004
दूरभाषः 0755–2551199 / 2552003
फेक्सः 0755–2551387
ई–मेल पताः difbho@mp.gov.in website: http://www.dif.mp.gov.in

विभाग स्तर पर नोडल/सम्पर्क अधिकारी

1. **तकनीकी शिक्षा विभाग**

नामः–	डॉ0 ए0 के0 जैन
पदनामः–	संयुक्त संचालक
दूरभाष क्रमांकः–	0755–2577148
फेक्स क्रमांकः–	0755–2552219
मोबाईल क्रमांकः–	094251–85846
कार्यालय का पताः–	संचालनालय तकनीकी शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
ई–मेल पताः–	dtemp@sancharnet.in/abhaykjain@rediffmail.com

2. **चिकित्सा शिक्षा विभाग**

नामः–	डॉ0 एन0 एम0 श्रीवास्तव
पदनामः–	संयुक्त संचालक
दूरभाष क्रमांकः–	0755–2552385
फेक्स क्रमांकः–	0755–2551719
मोबाईल क्रमांकः–	098272–24439
कार्यालय का पताः–	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
ई–मेल पताः–	dirmededu@mp.nic.in/drnmshrivastava@gmail.com

3. **आयुष विभाग**

नामः–	डॉ0 एस.के.तिवारी
पदनामः–	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
दूरभाष क्रमांकः–	0755–2552830
फेक्स क्रमांकः–	0755–2760225
मोबाईल क्रमांकः–	094251–50803
कार्यालय का पताः–	संचालनालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, सतपुड़ा भवन, भोपाल
ई–मेल पताः–	mp_dismh@yahoo.com

4. **उच्च शिक्षा विभाग**

नामः–	श्रीमती गौरी सिंह
पदनामः–	संयुक्त संचालक वित्त
दूरभाष क्रमांकः–	0755–2558258
फेक्स क्रमांकः–	0755–4231572
मोबाईल क्रमांकः–	094250–27751
कार्यालय का पताः–	संचालनालय उच्च शिक्षा, 5वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल
ई–मेल पताः–	commhedu@mp.gov.in

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना (संशोधन सहित)	3–10
2.	विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों की सूची (परिशिष्ट–1)	11
3.	विभाग द्वारा देश एवं विदेश में अध्ययन हेतु निर्धारित शिक्षण संस्थाओं की सूची (परिशिष्ट–2)	12–13
4.	परिवार की वार्षिक आय का शपथ–पत्र (परिशिष्ट–3)	14
5.	कॉलेटरल सिक्यूरिटी हेतु पर्याप्त आस्तियां नहीं होने का शपथ–पत्र (परिशिष्ट–4)	15
6.	छानबीन समिति का स्वरूप तथा संदर्भ शर्तें (परिशिष्ट–5)	16
7.	उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा गारंटी जारी करने हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–6)	17–20
8.	विभाग स्तर पर गारंटी से संबंधित आवश्यक अभिलेख संधारण हेतु निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–7)	21–22
9.	बंध–पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–8)	23–24

उच्च शिक्षा ऋण गारन्टी योजना

(मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र.प्राविवि/उशिगायो–9/संविसं/2009/2083 दिनांक 31–10–2009 से जारी)

=0=

1. प्रस्तावना एवं योजना की आवश्यकता:–

उच्च शिक्षा का लाभ समस्त इच्छुक विद्यार्थियों को दिलाने के लिए राज्य शासन कटिबद्ध है। प्रदेश में निम्न आय वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि बैंकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण प्राप्त करने पर कॉलेटरल सिक्यूरिटी मांगी जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश अनुसार वर्तमान में उच्च शिक्षा हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने पर रूपये 4 लाख तक के ऋण हेतु किसी प्रकार की कॉलेटरल सिक्यूरिटी की आवश्यकता नहीं होती है किन्तु इससे अधिक राशि के ऋण हेतु बैंक द्वारा कॉलेटरल सिक्यूरिटी लिए जाने का प्रावधान है। निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों के परिवार द्वारा उनके पास भूमि, भवन आदि नहीं होने से कॉलेटरल सिक्यूरिटी दी जाना संभव नहीं होता है। अतः ऐसे गरीब मेधावी विद्यार्थी, जिन्हें उच्च शिक्षा हेतु ऋण की आवश्यकता है तथा कॉलेटरल सिक्यूरिटी के अभाव में बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, को बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार की गारन्टी पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

2. योजना का स्वरूप एवं क्रियान्वयन करने वाले विभाग :–

इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा (आयुष विभाग सहित) एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जावेगा। योजना के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उनसे संबंधित अधिसूचित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों हेतु गारंटी दी जावेगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 विद्यार्थियों के प्रकरणों हेतु गारंटी दी जा सकेगी। विभाग–वार विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण हेतु दी जाने वाली गारंटी की संख्या का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा टेबल क्रमांक–1 द्वारा किया गया है। इसमें विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण भी सम्मिलित रहेगें, परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या विभाग हेतु निर्धारित संख्या की कुल संख्या के 20 प्रतिशत से

अधिक नहीं होगी। उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना में अधिसूचित पाठ्यक्रमों (परिशिष्ट–1) एवं शिक्षण संस्थाओं का निर्धारण (परिशिष्ट–2) संबंधित विभागों द्वारा किया गया है। उपरोक्तानुसार गारंटी **शासकीय/शासन से सहायता प्राप्त/प्रतिष्ठित निजी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों** एवं विदेश में उच्च शिक्षा हेतु प्रतिष्ठित महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये ही दी जा सकेगी। परन्तु इसमें पीएच0डी0 के पाठ्यक्रम शामिल नहीं होगें। विद्यार्थी को उच्च शिक्षा ऋण गारंटी किसी भी एक पाठ्यक्रम के लिये एवं एक बार ही दी जा सकेगी।
(मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र.प्राविवि/उशिगायो–9/संविसं/2010/1010 दिनांक 20–05–2010 द्वारा यथासंशोधित)

टेबल क्रमांक–1
उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारन्टी योजना अंतर्गत विभागवार गारंटी की संख्या का निर्धारण

क्र.	विभाग/शिक्षा क्षेत्र	विभाग द्वारा वर्ष के दौरान दी जाने वाली गारंटी की निर्धारित संख्या
1.	चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन हेतु (आयुष विभाग सहित)	**100 विद्यार्थियों को गारंटी**
2.	तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन हेतु	**60 विद्यार्थियों को गारंटी**
3.	अन्य उच्च शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन हेतु	**40 विद्यार्थियों को गारंटी**

नोटः– उपरोक्तानुसार निर्धारित गारंटी की संख्या में से विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण भी सम्मिलित रहेगें, परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित संख्या की कुल संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र.प्राविवि/उशिगायो–9/संविसं/2009/312 दिनांक 18 फरवरी, 2010)

3. लाभार्थी :–

मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी योजना के अन्तर्गत ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगें जिनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 5 लाख से अधिक नहीं है (**शपथ–पत्र परिशिष्ट–3 अनुसार**)। संबंधित विद्यार्थी के माता–पिता/पालक को यह शपथ–पत्र देना होगा कि उनके पास कॉलेटरल सिक्यूरिटी हेतु पर्याप्त आस्तियॉ नहीं है तथा उसके पास

उपलब्ध आस्तियों का विवरण शपथ–पत्र (<u>**परिशिष्ट–4**</u>) के साथ संलग्न करने होगें।

<u>(मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क.प्राविवि/उशिगायो–9/संविसं/2012/3073 दिनांक 13 जनवरी, 2012)</u>

4. आवेदन की प्रकियाः–

4.1 विद्यार्थी द्वारा बैंक से ऋण हेतु आवेदन संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में बैंक के नियमानुसार करना होगा तथा कॉलेटरल सिक्यूरिटी हेतु शासकीय प्रत्याभूति जारी करने हेतु निर्धारित प्रारूप (<u>**आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–6 अनुसार**</u>) में दस्तावेजों के साथ पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.2 विद्यार्थी द्वारा जिस बैंक शाखा से ऋण प्राप्त किया जाना है, उस बैंक शाखा द्वारा विद्यार्थी के पक्ष में शासकीय प्रत्याभूति की शर्त पर ऋण स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक सहमति का पत्र जारी किया जाएगा तथा ऐसा पत्र आवेदक द्वारा अपने उच्च शिखा ऋण हेतु प्रत्याभूति के आवेदन पत्र के साथ **मूलतः संलग्न** करना होगा।

4.3 शासकीय प्रत्याभति हेतु आवेदन निम्नानुसार अग्रेषित होगें:–

अ. विद्यार्थी द्वारा अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से संबंधित प्रशासकीय विभाग के नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेगें।

ब. विद्यार्थी द्वारा बैंक के माध्यम से संबंधित प्रशासकीय विभाग के नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेगें।

स. विद्यार्थी द्वारा संबंधित प्रशासकीय विभाग के नोडल अधिकारी को सीधे भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेगें।

4.4 प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रचार प्रसार करते हुए उच्च शिक्षा ऋण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएगें।

<u>(मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क.प्राविवि/उशिगायो–9/संविसं/2010/2177 दिनांक 13–09–2010 द्वारा निर्धारित)</u>

5. छानबीन समिति :–

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों के चयन हेतु इस योजना का कियान्वयन करने वाले

विभागों के अन्तर्गत छानबीन समिति (**<u>परिशिष्ट–5</u>**) गठित की गई है। उक्त समिति योजना अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों (**<u>आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–6 अनुसार</u>**) पर विचार कर गुण–दोष के आधार पर उपयुक्त विद्यार्थियों का चयन करेगी। समिति की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव करेगें तथा संबंधित विभागाध्यक्ष, संचालक, संस्थागत वित्त एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति अथवा उनके प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे। संबंधित विभागाध्यक्ष समिति के सदस्य सचिव होंगें। विभाग द्वारा छानबीन समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

6. चयन प्रक्रियाः–

प्रत्येक प्रकरण में उपरोक्तानुसार गठित छानबीन समिति द्वारा शिक्षा ऋण हेतु गारंटी देने का निर्णय गुण–दोष के आधार पर पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जावेगा। समिति द्वारा चयन करते समय निम्न बिन्दुओं की जांच की जावेगी :–

6.1 विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता।
6.2 विद्यार्थी द्वारा चयनित शिक्षण संस्थान की मान्यता।
6.3 विद्यार्थी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि तथा हायर सेकण्डरी एवं उसके बाद की परीक्षाओं में विद्यार्थी के प्राप्तांकों का प्रतिशत।
6.4 विद्यार्थी के पालक की आर्थिक स्थिति।
6.5 विद्यार्थी द्वारा चयन किये गये पाठ्यक्रम में चयन की प्रक्रिया।
6.6 विद्यार्थी को बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण की वापसी की संभावना का मूल्यांकन।

विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से गारंटी देने हेतु प्रकरणों का चयन विद्यार्थी के पूर्व शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा।

6.7 **निजी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु अतिरिक्त शर्तें निम्नानुसार होगीः–**

6.7.1 विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम हेतु किसी भी निजी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले वर्ष के दौरान ऐसे विद्यार्थी ही पात्र होंगे जिनके द्वारा उस वर्ष हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों हेतु वर्गवार निर्धारित कुल सीट की पांच गुना संख्या तक स्थान मेरिट सूची में हासिल किया हो। राज्य के बाहर तथा विदेश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध निजी चिकित्सा महाविद्यालय/

विश्वविद्यालय में एम0बी0 बी0 एस0 / एम0डी0 / एम0एस0 / डी0एम0 / एम0सी0एच0 / बी0डी0एस0 / एम0डी0एस0 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी पर भी लागू नहीं होगा।

(मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र.प्राविवि / उशिगायो–9 / संविसं / 2010 / 2428 दिनांक 29–09–2010 द्वारा प्रतिस्थापित एवं ज्ञाप क्र. प्राविवि / उशिगायो–9 / संविसं / 2012 / 3073 दिनांक 13 जनवरी, 2012 द्वारा संशोधित कंडिका क्र. 6.7.1)

6.7.2 राज्य शासन द्वारा चयनित विद्यार्थी को निजी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने पर गारंटी की राशि के निर्धारण हेतु ऐसे महाविद्यालय हेतु फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस को आधार माना जायेगा। परन्तु, जिन प्रकरणों में फीस का निर्धारण फीस नियामक आयोग द्वारा नहीं किया जाता है, ऐसे प्रकरणों में गारंटी की राशि हेतु फीस के आंकलन का आधार शासकीय महाविद्यालयों हेतु निर्धारित फीस की सीमा तक रहेगा। विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं पर यह प्रावधान लागू नहीं होगें।

(मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र.प्राविवि / उशिगायो–9 / संविसं / 2010 / 1010 दिनांक 20–05–2010 द्वारा जोड़ी गई कंडिका क्र. 6.7 तथा ज्ञाप क्र.प्राविवि / उशिगायो–9 / संविसं / 2010 / 2177 दिनांक 13–09–2010 द्वारा प्रतिस्थापित कंडिका क्र. 6.7.2)

7. विभाग एवं बैंक का दायित्वः–

7.1 विभाग एवं बैंक का यह दायित्व होगा कि वह उच्च शिक्षा ऋण के विरूद्ध गारंटी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के संबंधित पाठ्यक्रम में दाखिले के पश्चात प्रत्येक वर्ष / सेमिस्टर की शैक्षणिक उपलब्धि की समीक्षा करे।

7.2 बैंक द्वारा ऐसे विद्यार्थी हेतु देय शिक्षण शुल्क का निर्गमन सीधे महाविद्यालय / विश्वविद्यालय को किया जायेगा। प्रवेश वर्ष को छोड़कर आगामी वर्षों में शिक्षण शुल्क के भुगतान के पूर्व विद्यार्थी के संबंधित पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष / सेमिस्टर की शैक्षणिक उपलब्धि की समीक्षा की जायेगी।

7.3 किसी विद्यार्थी के सेमिस्टर / वार्षिक परीक्षा में उपलब्धि संतोषजनक नहीं पाई जाती है अथवा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक को इन प्रकरणों में निर्गमित ऋण तथा उस पर उक्त दिनांक तक देय ब्याज की राशि (कुल देय राशि) की जानकारी 30 दिवस की समयावधि में राज्य शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को देनी होगी। बैंक उक्त सूचना के उपरान्त ऋण वसूली की नियमानुसार कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करेगी तथा राज्य शासन के गारंटी अंतर्गत दायित्वों में बैंक के पास जानकारी प्राप्त होने के दिनांक के बाद के ब्याज का भार

शामिल नहीं होगा। बैंक द्वारा अनुदान की राशि के समायोजन उपरान्त वसूल नहीं हो सके ऋण एवं ब्याज की राशि की वापसी की मांग राज्य शासन से करने पर वित्त विभाग द्वारा शुद्ध देय राशि बैंक को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी। उक्तानुसार राशि निर्गमन के पश्चात ऐसी गारंटी स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

7.4 ऐसे प्रकरण जिनमें राज्य शासन को गारंटी के विरूद्ध बैंक को भुगतान करना पड़ता है वहां ऐसे विद्यार्थी/अभिभावक से राज्य शासन द्वारा भुगतान की गई राशि की पूर्ण वसूली होने के दिनांक तक, ऋण हेतु बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर, के ब्याज सहित वसूली योग्य होगी। यह राशि संबंधित प्रशासकीय विभाग, जिसके द्वारा गारंटी दी गई है, के द्वारा भू-राजस्व की बकाया राशि (arrears of land revenue) के समान वसूली योग्य होगी।

7.5 ऋणप्राप्तकर्ता को यदि केन्द्र सरकार अथवा अन्य किसी संस्था से ऋण अथवा ब्याज पर किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त होता है तो उक्त अनुदान की राशि का, ऋण प्राप्तकर्ता की देनदारियों के विरूद्ध समायोजन करने के उपरान्त शेष रही राशि के 80 प्रतिशत तक का भुगतान ही राज्य शासन द्वारा गारंटी के अंतर्गत किया जायेगा।

7.6 बैंक द्वारा विद्यार्थी को गारंटी के विरूद्ध निर्गमित/बकाया ऋण की राशि एवं शेष ब्याज के अद्यतन विवरण प्रत्येक छः माह में एक बार विभाग को उपलब्ध कराये जायेगें। विभाग द्वारा प्रत्येक गारंटी के विषय में प्रदत्त ऋण, वसूली एवं अद्यतन ब्याज की राशि की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संधारित की जायेगी तथा उसके आधार पर वित्त विभाग को छ'माही प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

8. गारंटी की निबंध एवं शर्तें:-

8.1 योजना अंतर्गत गारंटी मध्य प्रदेश राज्य सरकार शासकीय प्रत्याभूति नियम, 2009 (संशोधित) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी की जायेगी।

8.2 विद्यार्थी को गारंटी के आवेदन के साथ संबंधित बैंक द्वारा जारी यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि बैंक ने ऋण के विरूद्ध (80 प्रतिशत की सीमा तक) कोई अन्य कॉलेट्रल सिक्यूरिटी (Collateral Security) प्राप्त नहीं की है।

8.3 ऋणी द्वारा ऋण/ब्याज के भुगतान में चूक करने पर प्रथमतः बैंक द्वारा वसूली की कार्यवाही की जायेगी और तत्पश्चात ही अनुदान

की राशि के समायोजन उपरान्त शेष बची राशि के लिये राज्य शासन की गारंटी के विरूद्ध मांग करने पर राज्य शासन द्वारा भुगतान किया जा सकेगा।

8.4 प्रशासकीय विभाग प्रतिवर्ष योजनान्तर्गत विभाग द्वारा जारी की जाने वाली गारंटी की कुल सीमा में प्रकरण वार (विद्यार्थी वार) गारंटी जारी कर सकेगा। विभाग द्वारा जारी की गई गारंटी तथा उसके विरूद्ध प्रदत्त ऋण, ब्याज एवं ऋण की वापसी का लेखा जोखा रखा जायेगा। विभाग निर्धारित प्रपत्र (**परिशिष्ट–7**) में प्रति छः माह में वित्त विभाग को जानकारी उपलब्ध करायेगा।

8.5 योजना अंतर्गत प्रशासकीय विभाग द्वारा अधिसूचित देश में स्थित शैक्षणिक संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा विदेश में शिक्षा हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि के आधार पर गारंटी दी जा सकेगी। गारंटी की राशि कुल ऋण तथा उस पर देय ब्याज (ऋण स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज दर) के 80 प्रतिशत तक की सीमा में रहेगी।

8.6 गारंटी की अवधि ऋण स्वीकृति के समय ऋण चुकारे हेतु निर्धारित की गई अवधि से 6 माह पश्चात तक रहेगी। परन्तु कण्डिका 7.3 एवं 7.5 में उल्लेखित प्रकरणों में राज्य शासन द्वारा बैंक को ऐसी राशि का भुगतान करने के पश्चात गारंटी स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

8.7 योजना में चयनित विद्यार्थी एवं उसके पालकों को अपना पाठ्यक्रम पूरा करने तथा बैंक से प्राप्त ऋण को मय ब्याज के वापिस करने हेतु बैंक एवं राज्य शासन के साथ एक त्रिपक्षीय बंध–पत्र (परिशिष्ट–8) (Tripartite-Bond) निष्पादित करना होगा।

(मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र.प्राविवि/उशिगायो–9/संविसं/2010/2177 दिनांक 13–09–2010 द्वारा यथासंशोधित कंडिका क्र. 8)

(परिशिष्ट–1)

विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों की सूची

तकनीकी शिक्षा विभागः–

स्नातक	स्नातकोत्तर
बी0ई0 / बी0टेक0	एम0ई0 / एम0टेक0
बी0फार्मेसी	एम0फार्मेसी
डिग्री / डिप्लोमा इन होटल मैनेंजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नालॉजी	एम0बी0ए0
	पी0जी0डी0एम0
बी0आर्क0	एम0आर्क0
	एम0सी0ए0
	एम0एस0 विदेश में अध्ययन हेतु

चिकित्सा शिक्षा विभाग :–

स्नातक	स्नातकोत्तर
एम0बी0बी0एस0	एम0डी0
	एम0एस0
	डी0एम0
	एम0सी0एच0
बी0डी0एस0	एम0डी0एस0
बी0एससी0–नर्सिंग	एम0एससी0–नर्सिंग

आयुष विभागः–

स्नातक	स्नातकोत्तर
बी0ए0एम0एस0	एम0डी0–आयुर्वेद
	एम0एस0–आयुर्वेद
बी0यू0एम0एस0	एम0डी0–यूनानी
बी0एच0एम0एस0	एम0डी0– होम्योपैथी

उच्च शिक्षा विभागः–

स्नातक	स्नातकोत्तर
म0प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रचलित पाठ्यक्रम	म0प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रचलित पाठ्यक्रम

(परिशिष्ट–2)

विभाग द्वारा देश एवं विदेश में अध्ययन हेतु निर्धारित शिक्षण संस्थाओं की सूची

तकनीकी शिक्षा विभागः–

भारत में अध्ययन हेतु चिन्हित की गई शैक्षणिक संस्थाएं
समस्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), समस्त भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), समस्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), समस्त भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), समस्त योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एसपीए), समस्त भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम), नार्थ–ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट आफ साइंस एवं टेक्नालॉजी (एनईआरआईएसटी), नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इण्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग (एनआईटीआईई), नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउण्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालॉजी (एनआईएफएफटी), संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (एसएलआईईटी), सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी (सीआईटी), पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं प्रबंधन संस्थान (आईआईआईटीडीएम), जबलपुर,
समस्त एआईसीटीई अनुमोदित शासकीय (स्वशासी) / अनुदान प्राप्त संस्थाएं, यूजीसी / एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों के यूटीडी / यूआईटी / फैकल्टी स्कूल में संचालित समस्त एआईसीटीई अनुमोदित पाठ्यक्रम, समस्त एआईसीटीई अनुमोदित ऐसी निजी संस्थाएं जिन्हें स्थापना के कम से कम सात वर्ष पूर्ण हो चुके हों।

विदेश में अध्ययन हेतु चिन्हित की गई शैक्षणिक संस्थाएं	
Country	University/Technical Institutes
Australia	Australian National University (ANU), University of Sydney, University of Melbourne, University of Queensland (UQ), University of New South Wales (UNSW), Monash University, University of Western Australia (UWA)
Canada	McGill University, University of Toronto, University of British Columbia (UBC), University of Alberta

China	Peking University, Tsinghua University
Denmark	University of Copenhagen, Aarhus University
Finland	University of Helsinki
France	École Normale Supérieure de Paris (ENS Paris), École Polytechnique, ParisTech Germany-Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Technische Universität München (TUM), Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Freie Universität Berlin, Universität Freiburg, University of Stuttgard
Hong Kong	University of Hong Kong (HKU), Hong Kong University of Science and Technolog, Chinese University of Hong Kong (CUHK)
Ireland	Trinity College Dublin
Japan	University of Tokyo, The Kyoto University, Osaka University, Tokyo Institute of Technology, Nagoya University
Korea South	Seoul National University (SNU), KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology
Netherlands	University of Amsterdam, Leiden University, Utrecht University, Erasmus University Rotterdam, Eindhoven University of Technology
New Zealand	University of Auckland
Norway	University of Oslo
Russia	Lomonosov Moscow State University
Singapore	National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU) Sweden-Uppsala University, Lund University
Switzerland	ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, University of Geneva
Taiwan	National Taiwan University (NTU)
United Kingdom	University of Cambridge, UCL (University College London), University of Oxford, Imperial College London, King's College London (KCL), University of Edinburgh, University of Bristol, University of Manchester, University of Warwick, University of Birmingham, University of Sheffield, University of Nottingham, University of Glasgow, London School of Economics and Political Scie., University of Southampton, University of Leeds, University of York, Durham University, University of St Andrews.
United States	Harvard University, Yale University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Chicago, California Institute of Technology (Caltech), Princeton University, Columbia University, University of Pennsylvania (UPenn), Stanford University, Duke University, University of Michigan, Cornell University, Johns Hopkins University, Northwestern University, University of California, Berkeley (UCB), Carnegie Mellon University (CMU), University of California, Los Angeles (UCLA), Brown University, New York University (NYU), University of Wisconsin-Madison, University of Washington, University of North Carolina, Chapel Hill, University of Illinois at Urbana-Champaign, Boston University, University of California, San Diego (UCSD), University of Texas at Austin (UT Austin), Washington University in St. Louis, Purdue University, Dartmouth College, University of Minnesota, Pennsylvania State University (Penn State)

चिकित्सा शिक्षा विभागः–

शैक्षणिक संस्थाएं
मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित शैक्षिणिक संस्थाऐं
डेन्टल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित शैक्षिणिक संस्थाऐं
इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित शैक्षिणिक संस्थाऐं

आयुष विभागः–

शैक्षणिक संस्थाएं
केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सी.सी.आई.एम.) नई दिल्ली तथा केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित शैक्षिणिक संस्थाऐं, जो सी.सी.आई.एम. की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची में सम्मिलित पाठ्यक्रमों को संचालित करती हैं ।
केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (सी.सी.एच) नई दिल्ली तथा केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित शैक्षिणिक संस्थाऐं, जो सी.सी.एच. की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची में सम्मिलित पाठ्यक्रमों को संचालित करती हैं।

उच्च शिक्षा विभागः–

शैक्षणिक संस्थाएं
यू.जी.सी से मान्यता प्राप्त प्रदेश एवं राष्ट्रीय संस्थाएं

(परिशिष्ट–3)

परिवार की वार्षिक आय का शपथ–पत्र

AFFIDAVIT

(On Rs. 10/- Non judicial stamp paper or affix Rs. 10/- special adhesive stamp)
[This affidavit is to be sworned by Head ofFamily of a student on behalf of all earning members of the family[1]]

I ------------------------------------- S/o/D/o Shri ------------------------------ aged about -------- years having an occupation of ---------------------, resident of ---------------------- do hereby solemnly affirm and state on oath as follows.

1. I am the deponent herein as such I am well acquainted with the facts of this affidavit.

2. I submit that I am the permanent resident of -- (give complete address) of ---------------- Tehsil --------------- District.

3. I submit that annual income of my family is Rs. ---------------- (word and figure) from all sources.

4. I submit that I belong to ________________________ caste, which is classified as SC/ST/OBC/General.

5. The said affidavit of caste, residence and income is necessary for my son/ daughter named -- for the purpose of obtaining a Guarantee of the Government of Madhya Pradesh for the purpose of availing loan from the -- (name and full address of the bank) for Higher Education purpose.

6. The above facts stated are true and correct to the best of my knowledge and belief.

7. Hence this affidavit.

DEPONENT

Sworn and signed before me on this

---------------------day of ------------month -----------year

at (place) ------------------------.

NOTARY

[1] This format of affidavit is common for caste, residence & income certificates. The applicant needs to declare the appropriate clauses.

कॉलेटरल सिक्यूरिटी हेतु पर्याप्त आस्तियां नहीं होने का शपथ–पत्र

AFFIDAVIT

(On Rs. 10/- Non judicial stamp paper or affix Rs. 10/- special adhesive stamp)
[This affidavit is to be sworned by Head ofFamily of a student on behalf of all members of the family[1]]

I -------------------------------------- S/o Shri ------------------------------- aged about ------------- years having an occupation of ---------------------, resident of ---------------------- do hereby solemnly affirm and state on oath as follows.

1. I am the deponent herein as such I am well acquainted with the facts of this affidavit.

2. I submit that I am the permanent resident of -- (give complete address) of ---------------- Tehsil --------------- District.

3. I submit that the value of all immovable property owned by me and my family members is approximately Rs. ---------------- (figures and words both). The assets available with my family are not sufficient for the purpose of mortgaging it in favour of the bank for the purpose of education loan for my Son/Daughter. Details of immovable properties are as follows-

   (a) Agriculture land -------------- acre (khasra no. ---------) at -------------- village --------------- tehsil ---------------District
   (b) House at ---------------------- (full address) at -------------- village ------------ tehsil ---------------District

4. The said affidavit is necessary for my son/daughter named ------------------------- for the purpose of obtaining a Guarantee of the Government of Madhya Pradesh for the purpose of availing loan from a -- (name & full address of the bank) for Higher Education purpose.

5. The above facts stated are true and correct to the best of my knowledge and belief.

6. Hence; this affidavit.

DEPONENT

Sworn and signed before me on this

---------------------day of ------------month -----------year

at (place) ------------------------.

NOTARY

---

[1] This format of affidavit is for declaraing mortgageable assets as collateral security in favour of the bank. The applicant needs to declare only the appropriate clauses.

(परिशिष्ट–5)

छानबीन समिति का स्वरूप तथा संदर्भ शर्तें

1. समिति का स्वरूप (प्रत्येक विभाग हेतु पृथक–पृथक)

i. संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव – अध्यक्ष

ii. संचालक, संस्थागत वित्त – सदस्य

iii. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति – सदस्य

iv. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त/संचालक – सदस्य सचिव

2. समिति की संदर्भ शर्तें

i. योजना हेतु समुचित पाठ्यक्रमों एवं शैक्षणिक संस्थाओं की सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु सूची तैयार करना/संशोधित करना।

ii. योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर निर्णय हेतु आवश्यक गुणात्मक मापदण्ड निर्धारित करना (जैसे कि प्रथम आए प्रथम पाएं, मेरिट, आदि)

iii. योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर विचार कर गुण–दोष के आधार पर उपयुक्त विद्यार्थियों का चयन करना।

iv. प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करना।

(परिशिष्ट–6)

उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा गारंटी जारी करने हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

<table>
<tr><td colspan="6">आवेदन क्र.</td><td>आवेदन प्राप्ति का दिनांक</td></tr>
<tr><td colspan="6">TE / ME / HE / AE</td><td>...</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

आवेदन पत्र (आवेदक द्वारा भरा जाए)

<table>
<tr><td colspan="2">म.प्र.शासन द्वारा गारंटी जारी करने हेतु आवेदन अग्रेषित करने वाले बैंक की जानकारी</td><td rowspan="5">विद्यार्थी का फोटोग्राफ</td></tr>
<tr><td colspan="2">बैंक का नाम, जिसमें शैक्षणिक ऋण हेतु आवेदन दिया गया हैः
....</td></tr>
<tr><td colspan="2">बैंक शाखा का नाम एवं पताः ....</td></tr>
<tr><td colspan="2">बैंक में आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांकः ....</td></tr>
<tr><td>बैंक से अपेक्षित कर्ज की राशि</td><td>...</td></tr>
<tr><td>पाठ्यक्रम जिसके लिये प्रत्याभूति मांगी जा रही है</td><td>...</td><td rowspan="3">विद्यार्थी के पिता/माता/अभिभावक का फोटोग्राफ</td></tr>
<tr><td>संस्था का नाम/पता, जहां प्रवेश लिया गया है</td><td>...</td></tr>
<tr><td>राज्य सरकार से अपेक्षित गारंटी की राशि</td><td>...</td></tr>
</table>

1.	विद्यार्थी का नाम	:	....
2.	जन्म दिनांक (दिनांक/माह/वर्ष)	:	....
3.	पिता/संरक्षक/अभिभवक का नाम	:	....
4.	पिता/संरक्षक/अभिभवक का जन्म दिनांक (दिनांक/माह/वर्ष)	:	....
5.	पिता/संरक्षक/अभिभावक का पैन क्रमांक (आयकर विभाग द्वारा जारी)	:	....
6.	माता का नाम	:	....

7.	माता का जन्म दिनांक (दिनांक / माह / वर्ष)	:	....
8.	माता का पैन क्रमांक (आयकर विभाग द्वारा जारी)	:	....
9.	पिता / माता / संरक्षक / अभिभावक का वर्तमान पता	:	....
10.	पिता / माता / संरक्षक / अभिभावक का स्थायी पता	:	....
11.	दूरभाष क्रमांक	:	....
12.	मोबाईल क्रमांक	:	....
13.	पिता / माता / संरक्षक / अभिभावक का नौकरी / व्यवसाय करने का पूर्ण विवरण	:	....
14.	परिवार की वार्षिक आय	:	....
15.	परिवार में आश्रितों की संख्या	:	....
16.	परिवार में आय अर्जित करने वाले सदस्यों की संख्या	:	
17.	क्या परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बी.पी.एल.सूची का सदस्य है, यदि हां तो पूर्ण विवरण दे	:	....
18.	परिवार के पास बंधक रखने योग्य उपलब्ध आस्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य	:	....
19.	विद्यार्थी द्वारा कक्षा दसवीं पास करने का विवरण	:	....
	वर्ष	:	....
	प्राप्तांक	:	....
	स्कूल का नाम एवं पूर्ण पता	:	....
	बोर्ड का नाम	:	....
20.	विद्यार्थी द्वारा कक्षा बारहवीं पास करने का विवरण	:	....
	वर्ष	:	....
	प्राप्तांक	:	....
	स्कूल का नाम एवं पूर्ण पता	:	....
	बोर्ड का नाम	:	....
21.	शैक्षणिक डिस्टिंक्शन / पुरूस्कार आदि का विवरण	:	....
22.	प्रवेश परीक्षा का विवरण		
	वर्ष	:	....
	प्राप्तांक / रेंक / ग्रेड	:	....
	परीक्षा का नाम	:	....
	परीक्षा आयोजनकर्ता का नाम	:	....
23. आवश्यक वित्तीय सहायता का विवरण (जो लागू हो कृपया उसे भरें)			
अ. भारत में अध्ययन हेतु			
	वार्षिक सत्र शुल्क	:	....

	आवश्यक पुस्तकें, लेखन सामग्री, उपस्कर आदि	:	....
	छात्रावास एवं भोजनालय शुल्क	:	....
	वार्षिक कुल व्यय राशि	:	....
	कुल शैक्षणिक अवधि	:	....
	सम्पूर्ण शैक्षणिक अवधि हेतु आवश्यक कुल राशि	:	....
	क्या विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम योजना अंतर्गत सूचीबद्ध है अथवा नहीं	:	....
	क्या विद्यार्थी द्वारा चयनित शिक्षण संस्थान योजना अंतर्गत सूचीबद्ध है अथवा नहीं	:	....
ब.	विदेश में अध्ययन हेतु		
	कुल शिक्षा शुल्क सम्पूर्ण शिक्षा अवधि हेतु	:	....
	आवश्यक पुस्तकें, लेखन सामग्री, उपस्कर आदि	:	....
	कुल शैक्षणिक अवधि के दौरान भरण पोषण हेतु आवश्यक राशि	:	....
	एक तरफ का हवाई/समुद्री किराया	:	....
	कुल व्यय राशि	:	....
	कुल शैक्षणिक अवधि	:	....
	कुल व्यय राशि के बराबर की विदेशी मुद्रा	:	....
	क्या विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम योजना अंतर्गत सूचीबद्ध है अथवा नहीं	:	....
	क्या विद्यार्थी द्वारा चयनित शिक्षण संस्थान योजना अंतर्गत सूचीबद्ध है अथवा नहीं	:	....
		:	....

आवेदक विद्यार्थी के हस्ताक्षर	पालक के हस्ताक्षर
....	....
स्थानः—..	स्थानः—..
दिनांकः—..	दिनांकः—..

कार्यालयीन उपयोग हेतु

आवेदन क्रमांक						
आवेदन प्राप्ति का दिनांक	....					
आवेदन कैसे प्राप्त हुआ	सीधे / बैंक से / शैक्षणिक संस्था से					
नोडल अधिकारी का अभिमत						
गारंटी हेतु पात्रता	हॉ / नहीं					
गारंटी राशि की पात्रता	रू..					
अनुशंसा	हॉ / नहीं					
नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर	....					
नोडल अधिकारी का नाम	....					
दिनांक	....					
विभागाध्यक्ष का अभिमत						
अनुशंसा	हॉ / नहीं					
विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर	....					
विभागाध्यक्ष का नाम	....					
दिनांक	....					

<u>आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने वाले संलग्नकों की सूची–</u>

i. विद्यार्थी की जन्मतिथि की पुष्टि हेतु प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति
ii. विद्यार्थी द्वारा उत्तीर्ण हाई–स्कूल, हायर सेकण्डरी और उसके बाद विभिन्न परीक्षाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणित प्राप्तांक सूची
iii. परिवार की वार्षिक आय का शपथ–पत्र (परिशिष्ट–3)
iv. कॉलेटरल सिक्यूरिटी हेतु पर्याप्त आस्तियां नहीं होने का शपथ–पत्र (परिशिष्ट–4)
v. शैक्षणिक विशेष योग्यता के लिए छात्रवृत्ति / पुरूस्कार हेतु प्राप्त प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि
vi. विदेश विनिमय आज्ञापत्र की प्रमाणित प्रति यदि वह पहले से ही प्राप्त कर ली गयी है
vii. विदेश विश्वविद्यालय के प्रवेशपत्र की प्रमाणित प्रति, यदि शिक्षा विदेश में ग्रहण की जाना है
viii. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति हेतु जारी सैद्धांतिक सहमति पत्र की मूल प्रति

(परिशिष्ट–7)

विभाग स्तर पर गारंटी से संबंधित आवश्यक अभिलेख संधारण हेतु निर्धारित पंजी हेतु प्रपत्र

क्र.	विवरण	:	जानकारी	
1.	विद्यार्थी का नाम एवं पूरा पता	:		
2.	आवेदन क्रमांक एवं दिनांक	:		
3.	बैंक का नाम एवं पूरा पता जिसके पक्ष में शासकीय प्रत्याभूति दी गई है	:		
4.	बैंक द्वारा स्वीकृत कुल ऋण की राशि	:		
5.	बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की ब्याज दर	:		
6.	राज्य शासन द्वारा बैंक के पक्ष में दी गई गारंटी की राशि	:		
7.	राज्य शासन द्वारा बैंक के पक्ष में दी गई गारंटी की अवधि	:		
8.	विद्यार्थी के प्रत्येक वर्ष/सेमिस्टर में उपलब्धि पास/फेल/ब्रेक आदि का विवरण	:		
	प्रथम वर्ष/सेमिस्टर			
	द्वितीय वर्ष/सेमिस्टर			
	तृतीय वर्ष/सेमिस्टर			
	चतुर्थ वर्ष/सेमिस्टर			
	पंचम वर्ष/सेमिस्टर			
	छठवां वर्ष/सेमिस्टर			
	सातवां वर्ष/सेमिस्टर			
	आठवां वर्ष/सेमिस्टर			
	नौवां वर्ष/सेमिस्टर			
	दसवां वर्ष/सेमिस्टर			
9.	बैंक द्वारा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को भुगतान की गई शुल्क की राशि का विवरण	:	दिनांक	राशि
	प्रथम वर्ष/सेमिस्टर			
	द्वितीय वर्ष/सेमिस्टर			
	तृतीय वर्ष/सेमिस्टर			
	चतुर्थ वर्ष/सेमिस्टर			
	पंचम वर्ष/सेमिस्टर			
	छठवां वर्ष/सेमिस्टर			
	सातवां वर्ष/सेमिस्टर			
	आठवां वर्ष/सेमिस्टर			
	नौवां वर्ष/सेमिस्टर			
	दसवां वर्ष/सेमिस्टर			
10.	विद्यार्थी द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने पर बैंक को किसी भी एक तिथि तक देय ऋण एवं ब्याज की राशि का आंकलन (बैंक से प्राप्त कर दिनांक एवं मूल ऋण तथा ब्याज की राशि का विवरण)			

11.	ऐसे विद्यार्थी हेतु बैंक को देय ऋण एवं ब्याज की राशि का मांग वित्त विभाग को भेजने का दिनांक	:	
12.	वित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण	:	
13.	विभाग द्वारा डिफाल्ट की दशा में वसूली हेतु की गई कार्यवाही का विवरण	:	

नोटः– प्रत्येक विद्यार्थी हेतु रजिस्टर में एक–एक पृष्ठ पर जानकारी भरी जाय।

(परिशिष्ट–8)

बंध–पत्र का प्रारूप

BOND AGREEMENT TO BE EXECUTED BY THE BORROWER STUDENT ,JOINTLY WITH HIS/HER PARENT WITh THE LENDING BANK AND DEPARTMENT

This BOND AGREEMENT is made between the ______________________________ (Borrower Name) son/daughter of ______________________________ (full Address) ______________________________ (hereinafter called the “Borrower” which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof includes the successors and assignee) on the first part

And

the ______________________________ (Name and Full address of the Department issuing Guarantee in favour of the bank) on behalf of the Governor of Madhya Pradesh acting through the Commissioner/Director of the said Directorate of the __________________________ Department (hereinafter called the “Guarantor” which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof includes the successors and assignee) on the second part

And

the Branch Manager/Chief Manager of ______________________________ (Lender Bank's name) ______________________________ (full Address) ______________________________ (hereinafter called the “Lender” which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof includes the successors and assignee) on the third part

WHEREAS, the Government of Madhya Pradesh by exercising powers delegated to it under the Madhya Pradesh state Government Guarantee Rules, 2009 has guaranteed repayment of principal amount of loan of Rs. ____ (Amount in Words) only taken by________________________________(Name of the Borrower) from ________________________ (Name and full address of the bank), and payment of interest thereon together with other charges as under:

Amount of loan	____________
Rate of Interest	____________
Rate of Guarantee Fee	____________
Period of Guarantee	____________

In consideration of the promises and covenants herein contained, the parties hereto agree as follows:

i. The Lender will intimate the Department upon each disbursement of the loan amount within 15 days from the date of disbursement;

ii. The Lender will intimate the Department of any default either of principal amount or interest amount within 15 days from the due date of such payment to the lender(s).

iii. In the event of the Borrower coming to know in advance that it would not be able to pay the dues on due dates, the Borrower will keep the Department informed of such likely default;

iv. The Department will have powers to review periodical performance of the Borrower; and

v. The Department will have the right to recover any payment(s) made to the lenders in case of invocation of guarantee as Arrears of Land Revenue from the borrower.

IN WITNESS WHEREOF, the borrower has set his/her hands to this Agreement and a duplicate thereof as of the day, month and the year noted below:-

On behalf of the Government of Madhya Pradesh
Signature________________________
Name _______________________
Office_________________________
Date____________________________
Seal____________________________

Borrower Student
Signature________________________
Name _______________________
Address_________________________
Date____________________________

On behaklf of the Bank
Signature________________________
Name _______________________
Bank___________________________
Date____________________________
Seal____________________________

Borrower Student's Parent
Signature________________________
Name _______________________
Address_________________________
Date____________________________

Witness No. 1
Name _______________________
Signature________________________
Address_________________________
Date____________________________

Witness No. 2
Signature________________________
Name _______________________
Address_________________________
Date____________________________